(a) whether there is any proposal under Government's consideration to announce a new policy framwork for counter trade along the lines of those in Malaysia, Indonesia and other Asian countries;

(b) whether it is also a fact that Government propose to impose an obligatory counter trade component in all major public sector imports;

(c) if so, the details in this regard; and

(d) what is the likely impact of this on India's exports ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) and (b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

Policy Changes in STC

*200. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that changes have been made in the policies of the State Trading Corporation in view of the Government's policy of liberalisation;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, what are the reasons for not making such changes ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) to (c) As a part of the process of liberalisation of the economy, import and export of many items hitherto canalised through STC has now been decanalised. Since the bulk of the turnover of STC consisted of canalised trade, decanalisation has had a significant impact on its turnover. Consequently STC has re-defined its corporate objectives with a view to becoming an International Trading House functioning in a competitive environment principally based on non-canalised trade. The measures initiated by STC to increase its non-canalised trade are :—

—To develop captive supply base.

—Possibilities of entering into joint ventures with Indian/Overseas partners to strengthen supply base|marketing infrastructure.

—Identification of thrust items for export.

—Barter trade with Russia and other CIS countries through Escrow Account mechanism.

—Undertaking of consignment sale| stock and sale of fast moving items in Russia and other CIS countries.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूं के आटे की थैली का मूल्य

1449 **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 10 किलोग्राम की गेहूं के आटे की थैली का मूल्य बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका संशोधित मूल्य कितना है और मूल्य-वृद्धि के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार गेहूं के आटे की थैली के मूल्य में और वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति , उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) :—(क) से (घ), सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित किए जाने वाले आटे के अंतिम खुदरा मूल्यों का निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के केन्द्रीय निगम मूल्यों में हाल में परिवर्तन किया गया है। परिणामस्वरूप दिल्ली

में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित किए जाने वाले आटे के खुदरा मूल्यों में वृद्धि की गई है। दिल्ली में 11-7-1993 से 10 किलोग्राम की थैली के लिए आटे का खुदरा मूल्य 38.90 रुपये से बढ़ाकर 43.90 रुपये कर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल तथा गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनता कपड़ा

1450 **श्री छोटूभाई पटेल** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनता कपड़े नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े के उचित वितरण के लिए कोई अनुदेश/निदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को उक्त योजना के अपक्रिया के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ।

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद):— (क) से (घ) हथकरघा क्षेत्र में जनता कपड़े की योजना का कार्यान्वयन, भारत सरकार द्वारा इसे लागू करने वाले सभी राज्यों को जारी किए गए व्यापक दिशा निर्देशों के तहत शासित होता है। इन दिशा-निर्देशों के तहत, इसे कार्यान्वित करने वाले प्रत्येक अभिकरण को अपने कुल उत्पादन का कम से कम 85% भाग, उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा ऐसे अन्य अभिकरणों के माध्यम से वितरित करना अनिवार्य होता है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परिभाषा के अनुरूप हो। मुख्य सचिव हथकरघा के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में कार्यरत, राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समितियों को, जिनमें नागरिक आपूर्ति विभाग, गैर सरकारी संघ संगठनों, उपभोक्ता प्रतिनिधियों तथा अन्य विशेषज्ञ आदि सदस्य होते हैं, इससे सम्बन्धित कार्य, जिसमें उनके अपने-अपने राज्यों में वितरण-व्यवस्था के कार्यों की मानिटरिंग करना शामिल है सौंपा गया है। मिल में बने नियंत्रित कपड़े का वितरण राष्ट्रीय वस्त्र निगम (नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन) के बिक्री केन्द्रों, उनके अधिकृत डीलरों तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा नियंत्रित कपड़े की बिक्री की नियमित रूप से मानिटरिंग की जाती है।

इस योजना के कार्यचालन के बारे में कुछ शिकायतें हैं। जबकि विशिष्ट शिकायतों के बारे में विशेष कार्रवाई की जाती है। वहीं दीर्घ कालिक निवारक उपायों के रूप में समय-समय पर दिशा-निर्देशों के तहत प्रावधानों में संशोधन किया जाता है।

Revamped Public Distribution Centres

1451. SHRI G. G. SWELL : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) what is the number of revamped public distribution centres in the country;

(b) the details of the consumer items available in these centres;

(c) the average prices for some of the essential items such as rice, sugar, salt and edible oils ; and

(d) whether it is a fact that revamped public distribution centres are non-existent in the State of Meghalaya ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) to (d) The number of Blocks covered under the Revamped Public Distribution System (RPDS) in